# न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

## हकियत वाद—87 / 2017

अमरजी गिरी वगैरह.....................................वादीगण

बनाम

राजु राम वगैरह ...............................................प्रतिवादीगण

### आदेश

23.02.23 अभिलेख आज वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक—03.09.2022 तथा उसके तत्संबंधित प्रतिवादी द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक—19.12.2022 पर आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अपने आवेदन में वादी ने निवेदन किया है कि वर्तमान वाद के प्रतिवादी सुनिता देवी की मृत्यु दिनांक—22.06.2022 को एकमात्र पुत्र राहुल राम को छोड़कर हो गई है। अतः उनका प्रतिस्थापन न्यायहित में आवश्यक है।

प्रतिवादी ने अपने प्रत्युत्तर में यह निवेदन किया है कि सुनिता देवी की मृत्यु दिनांक—09.03.2021 को ही हो चुकी है जो मृत्यु प्रमाणपत्र से स्पष्ट है और वादी द्वारा यह तथ्य छुपाया गया है एवं आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद में मृतक पक्ष का सुनिता देवी वादपत्र में बतौर प्रतिवादी सं0—2 / एच सम्मिलित हैं और वर्तमान वाद में आवश्यक पक्षकार हैं। प्रतिवादी की ओर से दाखिल मृत्यु प्रमाणपत्र से यह स्पष्ट है कि उनकी मृत्यु दिनांक—09.03.2021 को हुई जबकि वादी के आवेदन में इसे 22.06.2022 होना बतलाया गया है। मृत्यु के संबंध में जानकारी का आधार धारा—144 द0प्र0स0 की वाद सं0—165 / 2022 के अंतिम बहस को बतलाया गया है जो स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह वर्ष 2022 का है, परन्तु प्रतिस्थापन के संबंध में कालबाधा मृत्यु की तिथि से शुरू मानी जाती है जबकि कालबाधा माफी के संबंध में वादी की ओर से कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं है। अतः वादी द्वारा दाखिल उपरोक्त आवेदन को कालबाधा से ग्रसित पाते हुए खारिज किया जाता है एवं अभिलेख को दिनांक— 10-04-2023 वास्ते धारा—89 सी.पी.सी. की सुनवाई हेतु नियत किया जाता है।

23/2/23

अवर न्यायाधीश,

शाहपुर पटोरी।